रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 354] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 20, 1973/आश्विन 28, 1895
No 354] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20, 1973/ASVINA 28, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DELIMITATION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October 1973

S.O. 553(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), an Order made by the Delimitation Commission under section 8 of the said Act in respect of the State of Orissa is hereby published:—

ORDER NO. 6

In pursuance of section 8 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), we hereby determine, on the basis of the latest census figures, having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, the number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Orissa as twenty-one (21) of which 3 seats shall be reserved for the Scheduled Castes and 5 seats for the Scheduled Tribes and the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as one hundred and forty-seven (147) of which 22 seats shall be reserved for the Scheduled Castes and 34 for the Scheduled Tribes.

J. L. KAPUR, *Chairman.*
TARUN KUMAR BASU, *Member.*
T. SWAMINATHAN, *Member.*

[No. 282/73(2).]
By order,
P. I. JACOB, Secy.

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1973

का० आ० 553 (अ).—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 10 की उप धारा (1) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन उड़ीसा राज्य के बारे में किया गया आदेश एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश सं० 6

परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 8 के अनुसरण में, हम, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तथा संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 तथा 332 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा राज्य को लोक सभा में आवंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या इक्कीस (21) जिनमें 3 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा 5 स्थान अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित होंगे तथा इस राज्य की विधान सभा के लिए समनुदेशित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या एक सौ सैंतालीस (147) जिनमें से 22 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 34 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे, एतद्द्वारा अवधारित करते हैं।

जे० एल० कपूर, अध्यक्ष।

तरुन कुमार बसु, सदस्य।

ति० स्वामीनाथन, सदस्य।

[सं० 282/73(2)]

आदेश से,

पी० आई० जेकब, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973